न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 915 / 2022

अनवान : –

1. जगदीश प्रसाद पुत्र जयलाल जाति जाट उम्र 61 वर्ष निवासी वार्ड नं. 3 ढण्ढेला हाल नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़। मो. न. 9461169717

– वादी

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र जयलाल जाति जाट उम्र 55 वर्ष निवासी वार्ड नं. 3 ढण्ढेला हाल नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. विजयसिंह पुत्र जयलाल जाति जाट उम्र 53 वर्ष निवासी वार्ड नं. 3 ढण्ढेला हाल नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. प्रदीप पुत्र जयलाल जाति जाट उम्र 52 वर्ष निवासी वार्ड नं. 3 ढण्ढेला हाल नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार राजस्व, नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री हवासिंह अधिवक्ता **वादी**
परोकार राज

निर्णय **दिनांक:** 12/4/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 की संयुक्त पैतृक कृषि भूमि चक ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर की सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 55 / 52 के खसरा नं. 441 / 1 की 6. 348 हैक्टेयर, खसरा नं. 446 / 2 की 3.680 हैक्टेयर बारानी प्रथम की कुल खसरा 3 की भूमि तादादी 13.127 हैक्टेयर बारानी प्रथम की है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 के मध्य 2015 में बाहमी बंटवारा किया गया जिसमें खसरा नं. 441 / 1 की 6.3480 हैक्टेयर में प्रतिवादी सं. 1 महेन्द्र सिंह की 2.024 हैक्टेयर, प्रतिवादी सं. 2 विजय सिंह की 2.024 हैक्टेयर, प्रतिवादी सं. 3 प्रदीप कुमार की 2.024 हैक्टेयर व वादी को 0.276 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्त हुई। इसी प्रकार खसरा नं. 441 / 6 की 3.0990 हैक्टेयर में से वादी जगदीश प्रसाद को 441 / 6 में 2.372 हैक्टेयर व प्रतिवादी [illegible] हैक्टेयर प्राप्त हुई, इसी प्रकार खसरा नं. 446 / 2 की 3.680 हैक्टेयर में वादी को 1.1500 हैक्टेयर, प्रतिवादी सं. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:03:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

महेन्द्रसिंह को 0.2530 हैक्टेयर व प्रतिवादी सं. 2 विजयसिंह 1.2650 हैक्टेयर, प्रतिवादी सं. 3 प्रदीप कुमार को 1.0120 हैक्टेयर प्राप्त हुई जो कि वर्तमान में मौका पर उपरोक्तानुसार कब्जे एवं आधिपत्य में है। उपरोक्त संयुक्त खाता की कृषि भूमि का बंटवारा करने के समय तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा बंटवारा शुदा कृषि भूमि को सहवन से खसरा नं. 441/1 में वादी का हिस्सा 0.276 हैक्टेयर दर्ज न कर तीनों प्रतिवादीगण के बराबर–बराबर 2.116 हैक्टेयर दर्ज कर दी। जो तीनों की प्रतिवादीगण 1 से 3 के प्रत्येक के खाता से 0.092 हैक्टेयर कम कर यानि महेन्द्र सिंह प्रतिवादी स0 1 का खाता सं. 175/55 से 0.092 हैक्टेयर, विजयसिंह प्रतिवादी स0 2 के खाता सं. 240/55 से 0.092 हैक्टेयर व प्रदीप कुमार प्रतिवादी स0 3 के खाता सं. 133/55 से हैक्टेयर 0.092 कम की जाकर वादी के खाता सं. 60/55 में 0.276 हैक्टेयर दर्ज करवाने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण तीनों के प्रत्येक के खाता में 0.092है0 कम कर प्रत्यंक के खाता में 2.024 हैक्टेयर दर्ज की जावे व इस प्रकार खसरा नं. 446/2 की 3.680 हैक्टेयर में वादी की 1.075 हैक्टेयर के स्थान पर प्रतिवादी सं. 1 महेन्द्र सिंह के हिस्सा में से 0.012 हैक्टेयर व प्रतिवादी सं. 3 प्रदीप कुमार के हिस्से में से 0.063 हैक्टेयर कम कर वादी जगदीश प्रसाद के हिस्से 1.075 हैक्टेयर के स्थान पर 1.1500 हैक्टेयर मुताबिक बाहमी बंटवारा के अनुसार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। इसी प्रकार जमाबंदी दुरूरत की जाकर प्रतिवादी सं. 1 के खाता संख्या 175/55 के खसरा नं. 441/$_{8}$ से 0.092 हैक्टेयर भूमि कलमजन कर उसके नाम 2.024 हैक्टेयर भूमि दर्ज रखी जाकर उसको मुताबिक बंटवारा पश्चिम तरफ का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 2 के खाता संख्या 240/55 के खसरा नं. 441/$_{1}$ से 0.092 हैक्टेयर भूमि कलमजन कर उसके नाम 2.024 हैक्टेयर भूमि दर्ज रखी जाकर उसको मुताबिक बंटवारा पूर्वी तरफ का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 3 के खाता संख्या 113/55 के खसरा नं. 441/9 से 0.092 हैक्टेयर भूमि कमलजन कर उसके नाम 2.024 हैक्टेयर भूमि दर्ज रखी जाकर उसको मुताबिक बंटवारा खसरा नं. 441/$_{8}$ व खसरा नं. 441/$_{1}$ के मध्य भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादी को मुताबिक बंटवारा उक्त तीनों खातों से कुल 0.276 हैक्टेयर भूमि कलमजन मानी जाकर एक नया खसरा नं. 441/$_{8/1}$ ईजाद कर प्रतिवादी सं. 1 के खसरा नं. 441/$_{8}$ के दक्षिण तरफ उक्त खसरा के पश्चिम, दक्षिणी पासा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी प्रकार इन खातो की खसरा नं. 446/2 की जो भूमि वादी के नाम खसरा नं. 446/6 की 1.0750 हैक्टेयर की बजाय मुताबिक बंटवारा खसरा नं. 446/6 की 1.1500 हैक्टेयर मानते हुए, खातेदार काश्तकार घोषित कि[illegible] 1 को खसरा नं. 446/5 की 0.2650 हैक्टेयर की बजाय 0.253 [illegible] काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 3 के ख[illegible] 446/7 [illegible]0750 हैक्टेयर की जगह मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:03:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

बंटवारा खसरा नं. 446/7 की 1.012 हैक्टेयर मानते हुए खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का आदेश तहसीलदार (राजस्व) नोहर को फरमाया जावे। लिहाजा यही बिनाय दावा है। प्रतिवादीगण को बमुकाम नोहर पर इस खाता की भूल का ज्ञान दिनांक 01.09.2022 को राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त करने पर हुआ व दिनांक 26.09.2022 को मिलकर कहा कि वे बाहमी बंटवारा के अनुसार उक्त कृषि भूमि जो वादी के हिस्सा में प्राप्त हुई परन्तु बंटवारानामा प्रपत्र में दर्ज होने से रह गई है जो कि खसरा नं. 441/1 में 0.276 हैक्टेयर व खसरा नं. 441/8/1 में 0.276 है0 व खसरा न0 446/2 में 1.1500है0 यानि हाल खसरा न0 446/2 में 1.1500है0 दर्ज करवा दे तथा उपरोक्तानुसार हाल नक्शा को संशोधित करवा दे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये। इसलिए यह दावा पेश किया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण का कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 4 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई एतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की मुताबिक पारिवारिक बंटवारे के उक्त वाद भूमि दर्ज की जावें। बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का एतराज नही होने व वादी द्वारा प्रस्तुत द्वारा साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं साक्ष्य सबूतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण वाद वादी [illegible] की जाती है कि रौही मौजा ढंढेला बारानी तहसील नोहर के ज[illegible] संवत 2073–2076 के खाता सं. 175/55 के खसरा नं. 441/8 से [illegible] प्रतिवादी सं. 2 के खाता सं. 240/55 के खसरा नं. 441/1 से 0.092 हैक्टेयर कृषि भूमि व प्रतिवादी सं. 3 के खाता सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:03:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

113/55 के खसरा नं. 441/9 से 0.092 हैक्टेयर कृषि भूमि कम की जाकर वादी के खाता सं. 60/55 में नया खसरा न0 कायम कर खसरा नं. 441/8/1 की 0.276 हैक्टेयर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा नक्शा में प्रतिवादी न0 1 के ख0न0 441/8 के दक्षिण तरफ उक्त खसरा के पश्चिमी दक्षिणी पासा का नक्शा दुरस्त किया जावें। तथा रोही मौजा ढंढेला बारानी तहसील नोहर के खसरा न0 446/5 की 0.2650है0 के स्थान पर 0.253है0 भूमि प्रतिवादी न0 1 के नाम रहेगी तथा प्रतिवादी स0 3 के पास खसरा न0 446/7 की 1.0750है0 की जगह 1.012है0 भूमि रहेगी एवं वादी को खसरा न0 446/6 की 1.0750 है0 के स्थान पर 1.1500 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें तथा उपरोक्तानुसार हाल नक्शा को संशोधित किया जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:03:06 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 915/2022

अनवान : –

1. जगदीश प्रसाद पुत्र जयलाल जाति जाट उम्र 61 वर्ष निवासी वार्ड नं. 3 ढण्ढेला हाल नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़। मो. न. 9461169717

– वादी

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र जयलाल जाति जाट उम्र 55 वर्ष निवासी वार्ड नं. 3 ढण्ढेला हाल नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. विजयसिंह पुत्र जयलाल जाति जाट उम्र 53 वर्ष निवासी वार्ड नं. 3 ढण्ढेला हाल नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. प्रदीप पुत्र जयलाल जाति जाट उम्र 52 वर्ष निवासी वार्ड नं. 3 ढण्ढेला हाल नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार राजस्व, नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री हवासिंह पुनिया एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रौही मौजा ढंढेला बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता सं. 175/55 के खसरा नं. 441/8 से 0.092 हैक्टेयर कृषि भूमि व प्रतिवादी सं. 2 के खाता सं. 240/55 के खसरा नं. 441/1 से 0.092 हैक्टेयर कृषि भूमि व प्रतिवादी सं. 3 के खाता सं. 113/55 के खसरा नं. 441/9 से 0.092 हैक्टेयर कृषि भूमि कम की जाकर वादी के खाता सं. 60/55 में नया खसरा न0 कायम कर खसरा नं. 441/8/1 की 0.276 हैक्टेयर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा नक्शा में प्रतिवादी न0 1 के ख0न0 441/8 के दक्षिण तरफ उक्त खसरा के पश्चिमी दक्षिणी पासा का नक्शा दुरस्त किया जावें। तथा रोही मौजा ढंढेला बारानी तहसील नोहर के खसरा न0 446/5 की 0.2650है0 के स्थान पर 0.253है0 भूमि प्रतिवादी न0 1 के नाम रहेगी तथा प्रतिवादी स0 3 के पास खसरा न0 446/7 की 1.0750है0 की जगह 1.012है0 भूमि रहेगी एवं वादी को खसरा न0 446/6 की 1.0750 है0 के स्थान पर 1.1500 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें तथा उपरोक्तानुसार हाल नक्शा को संशोधित किया जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:03:06 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर